

॥आदेश॥

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये है। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक / व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	प्रयागराज	स्व0 श्री मोहित कुमार पाण्डेय	सर्वश्री रीडेरी फर्मास्युटिकल्स प्रा0लि0	16-10-2025	27-01-2026	श्रीमती पल्लवी पाण्डेय, पत्नी	10.00 लाख
2	लखनऊ	स्व0 श्री सुनील कुमार	सर्वश्री सक्सेना खाद भण्डार, लखीमपुर खीरी	25-01-2026	27-02-2026	श्रीमती गीता, पत्नी	10.00 लाख
3	प्रयागराज	स्व0 श्री जितेन्द्र शर्मा	सर्वश्री जय मॉ लक्ष्मी इलेक्ट्रानिक्स, इलाहाबाद	07-01-2026	22-02-2026	श्रीमती अरुणा शर्मा, पत्नी	10.00 लाख
4	गोरखपुर	स्व0 श्री सुरेन्द्र कुशवाहा	सर्वश्री हरिओम टेडर्स, कुशीनगर	07-11-2025	07-02-2026	श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी	10.00 लाख

(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, प्रयागराज, लखनऊ-द्वितीय, गोरखपुर को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, प्रयागराज-बी, सीतापुर, गोरखपुर सम्भाग- बी को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- ✓ 4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

श्री. मन्वरी पूर्णिमा
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उपायुक्त, राज्य कर,

दिनांक 28-04-26

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।